5/11/21 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा कार्यालय/कार्य का बहिष्कार करने का .... हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/3/21

25/3/21 — पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है। .... पूर्व पेश की गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 27/5/21 को पेश हो।

27/5/21 — पत्रावली पेश हुई .... (कोविड 19 के) .... पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 7/9/21 को पेश हो।

17/11/21 — पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प .... में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/01/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

24/02/22 — पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०/प्रतिवादी नं० 2 का सहमति का प्रार्थना पत्रावली में शामिल है। फैसला साकारात्मक अपना पत्रांक 202 दिनांक 24/01/22 के द्वारा प्रार्थना पेश किया जो फोटो प्रति है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त फैसला किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पालना दाखिल दफ्तर हो।

नाथू लाल
प्रति० नं० 2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री विस्वामित्र मीना RAS

वाद पत्र सं0 170/2019

खैरूराम पुत्र कालूराम जाति रैगर निवासी नोन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
.......वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर वगेरहा।
2. नाथूराम पुत्र कालूराम जाति रैगर निवासी नोन्दपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर।
...........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्मा नयावासः–वकील वादी

निर्णय

दिनांक 24.02.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण मे अंकित किया गया है कि ग्राम राहोरी, पटवार हल्का राहोंरी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में खसरा नं0 236 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 237 रकबा 2.78 हैक्टेयर अनुसार कृषि भूमि स्थित है, जिनके राजस्व रिकार्ड में वादी का राजस्व इन्द्राज खैरूराम पुत्र कालूराम के स्थान पर श्रीराम पुत्र कालू अनुसार त्रूटिपूर्ण इन्द्राज होने से विवादित आराजियात है। उक्त वर्णितानुसार वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में खातेदार वादी का राजस्व इन्द्राज श्रीराम पुत्र कालू अनुसार त्रूटिपूर्ण व गलत अंकित है। जबकि वादी का सही दस्तावेजी एवं वास्तविक नाम खैरूराम पुत्र कालूराम है, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकित करते हुए नियमित रिकार्ड जमाबन्दी बनायी जानी चाहिए थी। राजस्व कर्मचारी/पटवारी हल्का के उक्त प्रकार से लिपिकिए त्रूटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के कारण वर्तमान व नियमित जमाबंदियों में वादी का नाम गलत अंकित है तथा गलत व सहवन से लिपिकिए भूलवश त्रूटिपूर्ण इन्द्राज काबिले दूरूस्तीकरण है। जिसको दूरूस्त कराने का वादी अधिकारी है, जिससे अन्य सहखातेदारों का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों अनुसार पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा कमांक/एलआर/2020/202 दिनांक 24.08.2020 के तहत प्रस्तुत जवाब बिन्दूवार जॉच रिपोर्ट तथा पत्रावली में शामिल कर दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड के खातेदारी में वादी प्रार्थी के नाम का राजस्व इन्द्राज त्रूटिपूर्ण है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, विचाराधीन प्रकरण में निर्णय किया जाकर ग्राम राहोरी में खसरा नं0 236 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 237 रकबा 2.78 हैक्टेयर अनुसार की कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी के राजस्व इन्द्राज "श्रीराम पुत्र कालू" के स्थान पर वादी नाम खैरूराम पुत्र कालूराम अनुसार दर्ज करने के आदेश किये जाते है एवं तदानुसार प्रार्थी का राजस्व इन्द्राज खातेदारी दूरूस्त करने के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है। भूमिधारी तहसीलदार को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

दिनांक:— 02/03/2022

क्रमांक / 2022 / 984

तहसीलदार
जमवारामगढ़, जयपुर।

विषय :— राजस्व मुकदमा नम्बर 170/2019
उनवान खैरराम बनाम राज० सरकार
वगैरह में पारित निर्णय /आदेश दिनांक 24-2-2022
की पालना करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व मुकदमा नं0 170/2019 उनवान खैरराम बनाम राज० सरकार वगैरह में पारित निर्णय / आदेश / डिक्री दिनांक 24-2-2022 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि मुताबिक निर्णय / आदेश की पालना करना सुनिश्चित करे।

संलग्न :—निर्णय / डिक्री की प्रति

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर